COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

234

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0 प्र0

R-2708-II/12

1- ... 2-रतीराम पुत्रगण ... कुम्हार निवासी ग्राम बैसाखास तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ....निगराकारगण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन ....प्रतिनिगराकार

निगरानी ... धारा50 म0प्र0भू रा0 सं0 1959एवं संशोधित अधिनियम 2012 अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0के द्वारा पारित प्र0क्र0 20/स्व0निग0/2003-2004 में पारित आदेश दिनांक 28.1.2005 के विरुद्ध ।

13 JUL 2012

कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म. प्र.)

14
30/7/012

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

यह कि भूमि खसरा नंबर 545,546,547 रकबा 1.603 हैक0 स्थित ग्राम बैसा खास तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0में है जिसपर निगराकार वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा किये चला आ रहा है और भूमिहीन होने के कारण उसे तहसीलदार तहसील बल्देवगढ़ द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रहीदखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के तहत भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे तदनुसार तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्र0क्र0 311/अ19(4)/95-96 में दिनांक 20.8.96 को अधिकार प्रदान किये गये।जिसकी बिना कोई सूचना दिये अनुविभागीय अधिकारी महोदय टीकमगढ़ द्वारा प्र0क्र055/बी-121/99-2000 में दिनांक 25.8.99 को प्रतिवेदन दिया और अपर कलेक्टर महोदय द्वारा आलोच्य प्रकरण सुनवाई में लिया गया। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 28.1.2005 को तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.8.96 निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। जिससे दुखी होकर यह निगरानी ... श्रीमान जी के ... प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी ... आधार निम्नलिखित हैं :-

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2708-दो/2012 जिला टीकमगढ़

लक्ष्मण विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 20/स्व.निग./2003-04 में पारित आदेश दिनांक 28-01-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 07/3/19 सदस्य	